**उत्तराखण्ड शासन**
**परिवहन अनुभाग–1**
**संख्या–323/ ix–1 / 2015**
**देहरादून: दिनांक 16 अप्रैल, 2015**

## अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 74 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये उसकी धारा 212 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से प्रस्तावित उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2015 सभी सम्बन्धितों की जानकारी के लिये एतद्द्वारा सहर्ष प्रकाशित करते है।

**2–** ऐसे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, जिनकी प्रस्तावित नियमों से प्रभावित होने की सम्भावना है, सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित नियमावली के उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिन के भीतर उससे सम्बन्धित आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून को भेजे जा सकते है। तद्उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

## उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2015

**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**नियम 71 का संशोधन** 2 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 71 में नीचे स्तम्भ I मे दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ II में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

| वर्तमान नियम<br>स्तम्भ–I | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम<br>स्तम्भ–II |
|---|---|
| **71 ठेका परमिट की अतिरिक्त शर्तें** मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक ठेका गाडी की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी–<br>**(एक)** परमिट धारक प्रत्येक फेरे के सम्बन्ध में यान में यात्रा करने वाले यात्रियों की एक सूची तीन प्रतियों में निम्नलिखत प्रपत्र में तैयार करायेगा–<br>**यात्रियों की सूची**<br>मोटरयान की संख्या.....................<br>दिनांक.....................प्रस्थान का समय..<br>..................से.............तक | **71 ठेका परमिट की अतिरिक्त शर्तें** मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक ठेका गाडी की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी–<br>**(एक)** परमिट धारक प्रत्येक फेरे के सम्बन्ध में यान में यात्रा करने वाले यात्रियों की एक सूची तीन प्रतियों में निम्नलिखत प्रपत्र में तैयार करायेगा–<br>**यात्रियों की सूची**<br>मोटरयान की संख्या.....................<br>दिनांक.....................प्रस्थान का समय..<br>..................से.............तक |

| क्रम संख्या | यात्री का नाम | पिता/ पति का नाम | आयु | पता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(दो) सूची की एक प्रति अभिलेख के लिये रजिस्टर्ड पावती डाक द्वारा एकसे प्राधिकरण को भेजी जायेगी जिसने परमिट जारी किया हो। दूसरी प्रति यान में ले जायी जायेगी और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत की जायेगी, तृतीय प्रति परमिट धारक द्वारा परिरक्षित की जायेगी।

(तीन) परमिट धारक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता प्राप्त भाडे के भुगतान की भाडेदार को एक रसीद जारी करेगा और उसका प्रतिपर्ण अपने पास उपलब्ध रखेगा और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की मांग करने पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(चार) परमिट धारक प्रतिदिन की वार्षिक लाग बुक रखेगा जिसमें परमिट धारक के नाम और पते और यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के विवरणों सहित ड्राईवर के नाम और पते को और प्रस्थान और पंहुचने के समय सहित यात्रा के प्रारम्भ और गंतव्य बिन्दुओं को और भाडेदार का नाम और पता इंगित किया जायेगा।

(पांच) परमिट धारक, परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट जारी किया हो, को उपर्युक्त शर्त (चार) में विनिर्दिष्ट लाग बुक का उद्धरण त्रैमासिक भेजेगा। उक्त लाग बुक

| क्रम संख्या | यात्री का नाम | पिता/ पति का नाम | आयु | पता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(दो) परमिट धारक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता प्राप्त भाड़े के भुगतान की भाड़ेदार को एक रसीद जारी करेगा और उसका प्रतिपर्ण अपने पास उपलब्ध रखेगा और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की मांग करने पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(तीन) परमिट धारक प्रतिदिन की वार्षिक लाग बुक रखेगा जिसमें परमिट धारक के नाम और पते और यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के विवरणों सहित ड्राईवर के नाम और पते को और प्रस्थान और पंहुचने के समय सहित यात्रा के प्रारम्भ और गंतव्य बिन्दुओं को और भाड़ेदार का नाम और पता इंगित किया जायेगा।

(चार) उक्त लाग बुक एक वर्ष की अवधि के लिये परिरक्षित की जायेगी और जब कभी अपेक्षा की जायेगी उक्त अवधि के दौरान प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध करायी जायेगी।

परन्तु इस नियम की कोई बात किसी विवाद पार्टी को ले जाने के लिये किराये पर लिये गये किसी ठेका गाडी पर लागू नहीं होगी।

तीन वर्ष की अवधि के लिये परिरक्षित की जायेगी और जब कभी अपेक्षा की जायेगी उक्त अवधि के दौरान निरीक्षण के लिये उक्त अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

परन्तु इस नियम की कोई बात किसी विवाद पार्टी को ले जाने के लिये किराये पर लिये गये किसी ठेका गाडी पर लागू नहीं होगी।

आज्ञा से,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 सरकारी अधिसूचना संख्या–685/ix/302/07/2011 दिनांक 14 दिसम्बर 2011 द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित हुयी जिसके पश्चात उसमें निम्नलिखित संशोधन हुये है–

1– उत्तराखण्ड मोटरयान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 अधिसूचना संख्या– 486/ ix-1/302/07/2013 दिनांक 21 जून 2013।

**संख्या– (1)/ix–1/2015, तद्‌दिनांकित।**

प्रतिलिपि– अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रण एवं लेख सामग्री, रूडकी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग 4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करते हुये उसकी 50 प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु परिवहन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड सचिवालय, सुभाष रोड, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह तिलाड़ा)
उपसचिव।

**संख्या–323(2)/ix–1/2015, तद्‌दिनांकित।**

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
2– मण्डलायुक्त गढवाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– राजकीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह तिलाड़ा)
उपसचिव।